प्रेस विज्ञप्ति

20.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय) ईडी(, पटना जोनल कार्यालय ने19 .09. 2024को मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और सिंडिकेट सदस्य पुंज कुमार सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम)पीएमएलए(, 2002के प्रावधानों के तहत अवैध रेत खनन से संबंधित धन शोधन के अपराधों के लिए गिरफ्तार किया है।

ईडी ने बिहार पुलिस द्वारा भा.दं.सं ,.1860 और बिहार खनिज) रियायत ,अवैध खनन ,परिवहन और भंडारण की रोकथाम (नियम ,2019 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज 20 प्राथमीकियों के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड खनन प्राधिकरण ,बिहार द्वारा जारी विभागीय प्रीपेड परिवहन ई-चालान का उपयोग किए बिना अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री में शामिल रहा है और सरकारी खजाने को210 . 68 करोड़ रुपये का भारी राजस्व नुकसान पहुंचाया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि रेत की अवैध बिक्री और उसके खनन को मुख्य रूप से एक सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित किया जाता था। सिंडिकेट के सदस्य पुंज कुमार सिंह ने रेत की अवैध बिक्री से मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से भारी मात्रा में अपराध से आय अर्जित की और आय की लेयरिंग और शोधन में भी शामिल था।

इससे पहले इस मामले में मार्च महीने में ईडी ने पुंज कुमार सिंह के आवासीय परिसरों की तलाशी ली थी। पुंज कुमार सिंह तब से ईडी के समन से बच रहे थे और जांच में शामिल नहीं हो रहे थे।

इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें सिंडिकेट के सदस्य, मेसर्स ब्रॉडसन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और उनके सहयोगी शामिल हैं। ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा अर्जित 93.84 करोड़ रुपये की 7 अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से जब्त किया है।

आगे की जांच जारी है।